

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

विनोद चित्त रामकुमार भीगा निवासी किसानपुरा बरोदा

बनाम

मनगर पत्नी मोहनलाल भीगा निवासी लाल के खेडा वगैरह

किस्म मुकदमा पा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 221/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जे हुक्म के तारीख में जारी हुवे
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम भरणीकला प.ह. भरणीकला आराजी सं. 344/279 कुल कित्ता 01 रकबा 1.7563 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है   ग्राम भरणीकला प.ह. भरणीकला आराजी सं. 344/279 कुल कित्ता 01 रकबा 1.7563 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

राजस्थान-सरकार

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/221 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 221/ 2024 विनोद पिता रामकृष्ण मीणा निवासी किशनपुरा बरोदा बनाम, मनगर पत्नी मोहनलाल मीणा निवासी लाल के खेडा, धीसा पिता माधु बलाई निवासी किशनपुरा बरोदा, धीसा पत्नी धीसा बलाई निवासी किशनपुरा बरोदा तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम भरणीकला प.ह. भरणीकला आराजी सं. 344/279 कुल किता 01 रकबा 1.7563 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शककरगड को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कच्चे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा